सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ढाणी गैसकान)

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

अपील प्रार्थना पत्र संख्या :– 02/2018 **दायर तारीख** 24.01.2018

1. अरूण देव बिल्डर्स प्रा॰ लि॰ जरिए आथोराइज सिगनेचरी राजेश्वर प्रसाद शर्मा पुत्र शिवचन्द शर्मा निवासी 612 देवली नई दिल्ली।

—: अपीलार्थी

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत ढाणी गैसकान पंचायत समिति विराटनगर, तहसील विराटनगर
2. गोर्वधन } पुत्र रूडा
3. बाबूलाल }
4. मथरी }
5. गैन्दी } पुत्रियान रूडा
6. गीता }
7. संज्या }
8. फूली पत्नी रूडा (नाम हजफ)

समस्त जाती माली निवासी ढाणी गैसकान तहसील विराटनगर, जयपुर

9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार विराटनगर, तहसील विराटनगर

—— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट विरूद्ध आदेश, नामान्तकरण संख्या 680 (ग्राम पंचायत ढाणी गैसकान) दिनांक 21.07.2014 को निरस्त फरमाने बाबत।

उपस्थित :– श्री अनिल कुमार कौशिक, अधिवक्ता अपीलार्थी

पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 11.05.2018

1. अपीलार्थी ने अपील प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ढाणी गैसकान के खाता संख्या 161 में दर्ज खसरा नम्बर 278/0.19, 289/0.38 हैक्टेयर किता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2 कुल रकबा 0.57 हैक्टेयर में हिस्सा 3/8 मे से हिस्सा 1/2, खाता संख्या 162 में दर्ज खसरा नम्बर 285/0.45, 480/0.35 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.80 हैक्टेयर मे हिस्सा 1/4 मे से हिस्सा 1/6 तथा खाता संख्या 32 के खसरा नम्बर 290/0.32 मे हिस्सा 3/8 दर हिस्सा 31/64 भूमि जरिए विक्रय पत्र दिनांक 06.01.2011 अपीलार्थी की खरीदशुदा भूमि है, जिसका सहवन से राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं हुआ है। अपीलार्थी ने उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 8 के पिता एवं पति रूडा पुत्र चन्द्रा से उसके जीवनकाल में खरीद कर लिया था।

रूडा की मृत्यु पश्चात उसके वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 8 ने जानबूझकर अपने पिता के नाम का फायदा उठाते हुए ग्राम पंचायत से कुर्सीनामा तैयार कर मृतक रूडा का फौतगी नामान्तकरण अपने नाम दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत के सक्षम पेश कर दिया, तथा तत्कालीन सरपंच ने विरासत नामान्तकरण स्वीकार कर दिया जो पूर्णरूप से काबिल खारिज है।

आराजी मुतनाजा अपीलार्थी की जरिए विक्रय पत्र खरीदशुदा है तथा भूमि के सम्पूर्ण हक अधिकार अपीलार्थी को प्राप्त है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 8 को भूमि मुतनाजा में विरासत का नामान्तकरण खुलवाने का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार नामान्तकरण संख्या 680 दिनांक 21.07.2014 शुरू से ही शुन्य है। अतः निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर सरपंच ग्राम पंचायत ढाणी गैसकान द्वारा स्वीकार नामान्तकरण संख्या 680 दिनांक 21.07.2014 को निरस्त फरमाते हुए प्रकरण तहसीलदार विराटनगर प्रेषित कर अपीलार्थी द्वारा खरीद की गई भूमि का क्रेता के नाम नामान्तकरण दर्ज करवाने की कार्यवाही करने के आदेश फरमावें।

2. अपील प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर रेस्पोडेन्ट की तल्बी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की तरफ से अधिवक्ता मदनलाल ने यूटी पेश की, परन्तु बार–बार अवसर दिये जाने उपरान्त भी वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया, तदोपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।
3. अपीलार्थी ने अपनी अपील प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नामान्तकरण संख्या 680 दिनांक 21.07.2014 ग्राम पंचायत ढाणी गैसकान, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 161, 162, 32 संवत् 2069–2072, फोटोप्रति विक्रय पत्र दिनांक 06.01.2011 बहक अपीलार्थी, तहसीलदार द्वारा तलब सम्पूर्ण पत्रावली 01/2017 आदि पेश किये गये।
4. प्रकरण राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ढाणी गैसकान में पेश हुआ, अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 8 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहे है, तथा कैम्प कोर्ट में भी उपस्थित नहीं हुआ, जिनके खिलाफ पूर्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। पैरोकार सरकार ने जवाब

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पेश कर राजहित को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारीत करने का निवेदन किया।

5. बहस वकील अपीलार्थी एवं पैरोकार सरकार सुनी गई। वकील अपीलार्थी की बहस रही कि ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार एवं कानूनी प्रावधानों को दरकिनार करते हुए कब्जे काश्त एवं बिना अपीलार्थी को सुने, विक्रय पत्र दिनांक 06.01.2011 को अनदेखा करते हुए मनमाना आदेश पारित किया है, सर्वथा गैरकानूनी है।

6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुगंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस वकील अपीलार्थी पर मनन किया गया। ग्राम ढाणी गैसकान के खाता संख्या 123 में दर्ज खसरा नम्बर 278/0.19, 289/0.38 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.57 हैक्टेयर में हिस्सा 1776/2718 दर हिस्सा 3/8, खाता संख्या 64 में दर्ज खसरा नम्बर 285/0.45, 480/0.35 हैक्टेयर का हिस्सा 5/28 एवं खाता संख्या 32 में दर्ज खसरा नम्बर 290/0.32 में हिस्सा 1776/2718 दर हिस्सा 93/512 की खातेदारी वर्तमान जमाबन्दी में फूली देवी पत्नी रूडाराम, गोर्वधन, बाबुलाल पुत्रान रूडाराम, मथरो, गैंदी, गीता, संज्या पुत्रीयान रूडाराम के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त खातेदारान का नाम विरासत नामान्तकरण संख्या 680 दिनांक 21.07.2014 द्वारा दर्ज किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट जाहिर है कि ग्राम ढाणी गैसकान के खसरा नम्बर 278/0.19, 289/0.38 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 285/0.45, 480/0.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 290/0.32 हैक्टेयर में हिस्सानुसार रूडा के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड रही है। मृतक रूडा के रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 8 वारिसान है। दिनांक 21.07.2014 को नामान्तकरण संख्या 680 द्वारा मृतक खातेदार के वारिसान के नाम खातेदारी नामान्तकरण दर्ज किया गया, जबकि मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 06.01.2011 द्वारा मृतक रूडा ने उक्त आराजी का बेचान अपीलार्थी को कर दिया है। विक्रय पत्र में खाता संख्या 123 खसरा नम्बर 278, 289 किता 2 रकबा 0.57 में हिस्सा 3/8 मे से हिस्सा 1/2 एवं खाता संख्या 64 में खसरा नम्बर 285, 480 किता 2 रकबा 0.80 हैक्टेयर में हिस्सा 1/4 मे से हिस्सा 1/6 तथा खसरा नम्बर 290/0.32 हैक्टेयर मे हिस्सा 3/8 दर हिस्सा 31/64 से कुल भूमि 0.1979 हैक्टेयर का बेचान किया गया है, जो विक्रेता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 8 के पिता रूडा ने किया है। सरपंच ग्राम पंचायत ने यह नामान्तकरण संख्या 680 का आदेश पारित कर अपीलार्थी को उनके खातेदारी हक अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया है, जो कतई न्यायसंगत नहीं है। ग्राम पंचायत ने कानूनी प्रावधानों के खिलाफ जाकर बिना उक्त भूमि का मौका निरीक्षण किये व बिना कब्जा की जानकारी किये तथा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी को बिना सुने एवं विक्रय पत्र की अनदेखी करते हुए अपना निर्णय दिया उक्त निर्णय स्पेकिंग आर्डर की श्रेणी में नहीं आने से खारिज किये जाने योग्य पाता हूँ। अपीलार्थी ने अपील प्रार्थना पत्र को दस्तावेजी साक्ष्य से बखूबी साबित किया है। ग्राम पंचायत को इस प्रकार किसी के कानूनी खातेदारी हक अधिकारों को मनमाने व विधि विरूद्ध तरीके से समाप्त करने का कोई हक अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत ने विक्रय पत्र दिनांक 06.01.2011 की अनदेखी करते हुए, बिना तथ्यों की जांच किये रिकार्ड व मौका के विपरीत हस्तगत नामान्तकरण स्वीकार किया हैं। हस्तगत नामान्तकरण स्वीकार होने से अपीलार्थी के अधिकार प्रभावित हुए है। नामान्तकरण के समय अपीलार्थी का सुना जाना भी नहीं पाया जाता है। अतः अपीलार्थी की अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित पाता हूँ।

आदेश

अपीलार्थी की अपील अन्दर मियाद मानते हुए धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत के नामान्तकरण प्रविष्टि क्रम संख्या 680 दिनांक 21.07.2014 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार विराटनगर को प्रति प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि क्रेता के विक्रय पत्र दिनांक 06.01.2011 की जांच कर विधि सम्मत तरीके से पुनः नामान्तकरण की कार्यवाही करें। आदेश की प्रति तहसीलदार विराटनगर को भेजी जावे।

निर्णय मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट ढाणी गैसकान दिनांक 11.05.2018 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर